न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 87/2018

RCMS Case No. 2018/00438

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. भुण्डाराम पुत्र पन्नाराम जाति सीरवी निवासी धाकडी		1. प्यारीदेवी पत्नी खींवाराम जाति सीरवी निवासी धाकडी
2. जमनीबाई पत्नी पन्नाराम जाति सीरवी निवासी धाकड़ी		2. खींवाराम पुत्र पन्नाराम जाति सीरवी निवासी धाकडी
		3. ग्राम पंचायत धाकडी जरिये सरपंच
		4. ग्रुप सचिव, ग्राम पंचायत धाकड़ी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996

उपस्थित :–
श्री सुरेन्द्र वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20/02/2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत धाकड़ी द्वारा मिसल संख्या 49/2013–14 के सम्बन्ध में पारित संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.02.2014 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 25.08.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता हैं। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का रहवासीय मकान बना हुआ हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता/पति पन्नाराम की पुश्तैनी भूमि थी, जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 का बराबर हिस्सा हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। अप्रार्थी सयंख्या 2 द्वारा हस्ताक्षर किए है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया। आवेदन में जो पडौस एवं माप अंकित किया है, उसमें कांट–छांट हैं। अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में भूमि पर पुश्तैनी मकान होना बताया है। इस कारण ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि वे पन्नाराम के वारिशान के सम्बन्ध में जांच कर उनके सहमति प्राप्त कर पट्टा जारी करने

अति० जिला कलक्टर, पाली

बाबत कार्यवाही करते, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलावट कर कागजी खानापूर्ति करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पुश्तैनी मकान का पट्टा मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि उक्त मकान में प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को निरस्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का मुख्य आधार यह रहा है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि हैं। जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि मिसल में जितनी भी दिनांक अंकित है, उनमें कांट छांट हैं। अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर से जो आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसमें पूर्वजों से कब्जासुदा मकान का पट्टा दिलानें का निवेदन किया। प्रकरण में आपत्ति इश्तिहार दिनांक 20.04.2013 को जारी किया जाना अंकित है, जिसमें दिनांक को काट कर आपत्ति इश्तिहार जारी करने की दिनांक 06.01.2014 अंकित की गई है, जबकि इसकी पुस्त पर आपत्ति इश्तिहार चस्पा करने की दिनांक 20.06.2013 है, जो आपत्ति इश्तिहार जारी करने से 6 माह पूर्व की है, यह संभव नहीं हैं। प्रकरण में गवाहों ने अपने बयानों में जैर निगारनी विवादित आराजी को पुश्तैनी होना बताया हैं। गवाहों के बयानों की दिनांक में कांट छांट हैं। ये समस्त तथ्य प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में अपनाई गई प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाते हैं। अतः प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत धाकड़ी द्वारा मिसल संख्या 49/2013–14 के सम्बन्ध में पारित संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.02.2014 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 25.08.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली